न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजि0, नजीबाबाद।
परिवाद संख्या–5478/2022
हीना बनाम अमीर हसन आदि।

15–06–2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। बार–बार पुकार कराए जाने के उपरान्त भी परिवादिनी अनुपस्थित है तथा उसकी ओर से कोई स्थगन अथवा हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र भी नहीं दिया गया है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि पत्रावली वास्तें बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 200 सी0आर0पी0सी0 विगत कई तिथियों से नियत चली आ रही है, परन्तु परिवादिनी द्वारा अपने बयान दर्ज नहीं कराये गये। परिवादिनी को अपना प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पूर्व में कई अवसर दिये जाने के पश्चात् अपना प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नहीं हुई। इस पत्रावली में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी अपने इस परिवाद के निस्तारण पर बल नहीं देना चाहती है। उसके द्वारा कोई हाजरी माफी अथवा मौका का प्रार्थनापत्र भी नही प्रस्तुत किया गया है। अतएव परिवादिनी को अब आगे अन्य अवसर दिया जाना न्याय संगत प्रतीत नही होता है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही किये जाने का पर्याप्त आधार नही है। परिवादिनी का परिवाद उसकी अनुपस्थिति और पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अंर्तगत धारा 203 द0प्र0सं0 खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद परिवादिनी की अनुपस्थिति में और पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अर्न्तगत धारा 203 द0प्र0सं0 खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(एकलव्य सरोज)
सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0,
नजीबाबाद, बिजनौर।